



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042020-219227
CG-DL-E-29042020-219227

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1242|
No. 1242|

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2020/वैशाख 8, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2020/VAISAKHA 8, 1942

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2020

का.आ. 1390(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (II), तारीख 25 अक्टूबर, 2019 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3854(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के भरुच जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध, और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, "द इंडियन एक्सप्रेस" और "गुजरात मित्र" में तारीख 01 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित किया गया था;

और चार आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया तथा उसे अननुज्ञात कर दिया गया और तदनुसार आदेश पारित किए गये हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर अनन्य रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के भरुच जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम : भरुच

तालुका का नाम : अंकलेश्वर

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण/ब्लॉक संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	हेक्टेयर में क्षेत्रफल	भूमि स्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	अंकलेश्वर	उमरवाडा	505 पी 1 और 505 पी 2	निजी	खेती	0.1851	505 पी 1: ईस्माइल आदमजी देसाई 505 पी 2: स.सुमैया इशाक गंगात स ना वाली साराबेन सुलेमान, स साजेदा इशाक गंगात स ना वाली साराबेन सुलेमान
2			497 पी 1 और 497 पी 2	निजी	खेती	0.2331	497 पी 1: फातमा आदम गंगात, जेबुन्निशा आदम गंगात, महोमदसलीम आदम गंगात, जरीना आदम गंगात, महोमद अरुलम आदम गंगात, अहमद आदम गंगात 497 पी 2: बाई मरियम ईस्माइल गंगात, बाई अमीना ईस्माइल गंगात
3			499 पी 1 और 499 पी 2	निजी	खेती	0.3345	499 पी 1: ईमरान अहमद सईद मांकरोड 499 पी 2: फातमा ईस्माइल सुलेमान गंगात नी विधवा, लुकमान ईस्माइल, मोहमद ईस्माइल, उस्मान ईस्माइल, उमर ईस्माइल, अबुबकर ईस्माइल, फारुक ईस्माइल, जरीना ईस्माइल सुलेमान की लडकी, स.साहेल ईस्माइल अहमद पटेल, स. सुप्यात ईब्राहिम अहमद पटेल और उसके सगीरो के पिता उसकी माता, फातमाबेन ईस्माइल सुलेमान गंगात, अहमद सईल युसूफ मांकरोड
4			504	निजी	खेती	0.0550	अयूब दाउद गंगात, हलिमाबिबी अयूबभाई गंगात, अमीना अयूबभाई गंगात सुलेमान पटेल की पत्नी, फातेमा अयूबभाई गंगात काजी अमजद की पत्नी
5			503	निजी	खेती	0.3451	हवाबिबी अहमद काजी की विधवा, अबुबकर अहमद काजी, आरिफ अहमद काजी, रुवशाना अहमद काजी, फरजाना अहमद काजी, आसिफ अहमद काजी, रहेनाबिबी अहमद काजी,
6			467	निजी	खेती	0.7626	गुजरात औद्योगिक विकास निगम

[फा. सं. 2019/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/1063]

अजय शर्मा, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2020

S.O. 1390(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 3854(E), dated the 24th October, 2019 published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-Section (ii) dated the 25th October, 2019 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government has declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Bharuch in the State of Gujarat;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspaper namely, “The Indian Express” and “Gujarat Mitra” dated the 01st November, 2019 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, four objections were received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20 (E) of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20(E) of the said Act the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20(E) of the said Act the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the proposed Special Railway Project, Western Dedicated Freight Corridor in district Bharuch in the State of Gujarat.

Name of the District: Bharuch

Name of Taluka: Ankleshwar

Serial Number	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey/Block Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectares	Name of the Land Owner/Interested Persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Ankleshwar	Umarwada	505P1 and 505 P2	Private	Agriculture	0.1851	505P1: ISMAIL ADAMJI DESAI 505P2:S.SUMAIYA ISHAQ GANGAT S NA VALI SARABEN SULEMAN, S. SAJEDA ISHAQ GANGAT S NA VALI SARABEN SULEMAN.
2			497P1 and 497P2	Private	Agriculture	0.2331	497P1: FATMA ADAM GANGAT,ZEBUNNISHA ADAM GANGAT, MAHOMADSALIM ADAM GANGAT,ZARINA ADAM GANGAT ,MAHOMAD ASLAM ADAM GANGAT, AHMED ADAM GANGAT 497P2: BAI MARIYAM ISMAIL GANGAT, BAI AMINA ISMAIL GANGAT.
3			499P1 and 499P2	Private	Agriculture	0.3345	499P1: IMRAN AHMED SAEED MANKROD 499P2: FATMA ISMAIL SULEMAN GANGAT NI

						WIDOW, LUKMAN ISMAIL, MOHAMMED ISMAIL, USMAN ISMAIL, UMAR ISMAIL, ABUBAKAR ISMAIL, FARUK ISMAIL, ZARINA DAUGHTER OF ISMAIL SULEMAN S. SAHEL ISMAIL AHMED PATEL, S. SUFYAT IBRAHIM AHMED PATEL, AND THE GUARDIAN OF THE MINOR HER MOTHER, FATMABEN ISMAIL SULEMAN GANGAT, AHMED SAIL YUSUF MANKROD.
4			504	Private	Agriculture	0.0550 AIYUB DAUD GANGAT, HALIMABIBI AIYUBBHAI GANGAT, AMINA AIYUBBHAI GANGAT WIFE OF SULEMAN PATEL FATEMA AIYUBBHAI GANGAT WIFE OF KAZI AMJAD.
5			503	Private	Agriculture	0.3451 WIDOW OF HAVABIBI AHMED KAZI, ABUBAKAR AHMED KAZI ARIF AHMED KAZI, RUKSHANA AHMED KAZI, RARJANA AHMED KAZI ASIF AHMED KAZI RAHENABIBI AHMED KAZI.
6			467	Private	Agriculture	0.7626 GUJARAT INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION.

[F. No. 2019/LML-II/12/1/WC/1063]

AJAY SHARMA, Executive Director (Land and Amenities-1)